

जारी
05/06/23

संख्या- 48 /XVII-A-3 /2023-01(11)/वि0क0 /2017

प्रेषक,

एल० फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायू ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-03

देहरादून, दिनांक 5 जून, 2023

विषय- उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन।

महोदय,

दिव्यांगजनों के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (The Right Of Persons With Disabilities ACT, 2016) लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा-33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-112/XXX-2/2018-30(05)/2014 दिनांक 14 जून, 2018 द्वारा दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में 4 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक-एक प्रतिशत खण्ड (क) (ख) एवं (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) एवं (ङ) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है :-

- (क) दृष्टिहीनता और निम्न दृष्यता।
- (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में हास।
- (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसीड हमले से पीडित और मांसपेशीय दुष्पोषण।
- (घ) स्वपरायणता (Autism), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता।

क्रमशः.....

(ड) उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3. उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की नियमावली-2016 की धारा 33 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2019 के नियम 10(1) के प्राविधानानुसार गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के क्रम में पदों के चिन्हांकन के निमित्त पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, संलग्न सूची के अनुसार विभागवार एवं पदवार पदों के पुर्नचिन्हांकन का निर्णय लिया गया है।

4. संलग्न सूची में चिन्हांकित पदों के अतिरिक्त समस्त विभागों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के शेष सभी पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-34 के परन्तुक के अन्तर्गत दिव्यांगजन के आरक्षण से उन्मोचित समझे जायेंगे।

5. दिव्यांगजनों के लिए संलग्न सूची में विभागवार चिन्हांकित पदों के अनुसार नियुक्ति सुनिश्चित की जाये। यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रणीत किया जायेगा।

6. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
1. 05/6/23
(एल० फैन्ड)
प्रमुख सचिव। ०५

संख्या- 48 /XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि- संलग्न सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
अपर सचिव। ०५

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2019 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु पदों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा:-

विभाग की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम
1	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	35	राज्य संपत्ति विभाग
2	आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग	36	लघु सिंचाई विभाग
3	आबकारी विभाग	37	लोक निर्माण विभाग
4	आयुष विभाग	38	वन विभाग
5	आवास विभाग	39	वित्त विभाग
6	औद्योगिक विकास विभाग	40	सचिवालय प्रशासन विभाग
7	उच्च शिक्षा विभाग	41	समाज कल्याण विभाग
8	उद्यान एवं रेशम विभाग	42	सहकारिता विभाग
9	ऊर्जा विभाग	43	सामान्य प्रशासन विभाग
10	कार्मिक विभाग	44	सिंचाई विभाग
11	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	45	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग
12	कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग	46	संस्कृत शिक्षा विभाग
13	खेल विभाग	47	सूचना विभाग
14	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	48	सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
15	ग्राम्य विकास विभाग	49	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
16	ग्रामीण निर्माण विभाग	50	शहरी विकास विभाग
17	गृह विभाग	51	श्रम विभाग
18	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग	52	
19	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	53	
20	जलागम विभाग	54	
21	न्याय विभाग	55	
22	नियोजन विभाग	56	
23	निर्वाचन विभाग	57	
24	पंचायतीराज विभाग	58	
25	पशुपालन विभाग	59	
26	पर्यटन विभाग	60	
27	पेयजल विभाग	61	
28	परिवहन विभाग	62	
29	प्राविधिक शिक्षा विभाग	63	
30	बेसिक शिक्षा विभाग	64	
31	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	65	
32	माध्यमिक शिक्षा विभाग	66	
33	युवा कल्याण विभाग	67	
34	राजस्व विभाग	68	

5/5/2011

CATEGORY ABBREVIATION USED
वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ

S.No.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	B.	बी0	Blind	दृष्टिहीनता
2	L.V./P.B.	एल0वी0/पी0बी0	Low Vision/Partially Blind	कमदृष्टि/आंशिक दृष्टिहीन
3	D	डी0	Deaf	बधिर
4	H.H./P.D.	एच0एच0/पी0डी0	Hard of Hearing/Partially deaf	श्रवण शक्ति में हास/आंशिक बधिर
5	O.A.	ओ0ए0	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxic	एक हाथ प्रभावित (1) पैरों पर खड़े होने में असमर्थता (2) पकड़ने में असमर्थता (3) स्नायु दुर्बलता
6	O.L.	ओ0एल0	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
7	B.A.	बी0ए0	Both Arms Affected (1) Impaired (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभावित (1) हासित (2) कमजोर पकड़
8	B.L.	बी0एल0	Both Legs Affected	दोनों पैर प्रभावित
9	B.L.A.	बी0एल0ए0	Both Legs and both arm affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
10	B.H.	बी0एच0	Stiffback and hips (cannot sit or stoop)	स्टिफ बैक एण्ड हिप्स(बैठ नहीं सकते)
11	O.A.L.	ओ0ए0एल0	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित
12	C.P.	सी0पी0	Cerebral Palsy	प्रमस्तिष्क घात
13	L.C.	एल0सी0	Leprosy Cured	रोगमुक्त कुष्ठ
14	Dw.	डीडब्ल्यू0	Dwarfism	बौनापन
15	A.A.V./A.V.	ए0ए0वी0/ए0वी0	Acid Attack Victims/Acid Victims	एसिड आक्रमण पीड़ित/एसिड पीड़ित
16	A.S.D.	ए0एस0डी0	Autism Spectrum Disorder	स्वपरायणता
17	S.L.D.	एस0एल0डी0	Specific Learning Disability	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता
18	I.D.	आई0डी0	Intellectual Disability	बौद्धिक दिव्यांगता
19	M.Dy./M.W.	एम0डीवाई0/एम0डब्ल्यू	Muscular Dystrophy/Muscular weakness and limited physical	पेशीय दुष्पोषण/मांसपेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति
20	M.I.	एम0आई0	Mental Illness	मानसिक अस्वस्थता
21	M.D.	एम0डी0	Multiple Disabilities	बहु दिव्यांगता
22	Th.	टीएच0	Thalassaemia	थैलेसीमिया
23	Hp.	एचपी0	Hemophilia	हीमोफीलिया

(Handwritten Signature)

माध्यमिक शिक्षा विभाग

32.	माध्यमिक शिक्षा विभाग 1-विद्यालयी शिक्षा विभाग	(क)	प्रशासनिक संवर्ग	
			2- अपर निदेशक	एल०वी०/पी०बी०, एच०एच०/पी०डी०, बी०एच०, ओ०ए०, बी०, ओ०एल०, ओ०ए०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, टीएच०, एचपी०, सी०पी०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०
			3- संयुक्त निदेशक	एल०वी०/पी०बी०, एच०एच०/पी०डी०, बी०एच०, ओ०ए०, बी०, ओ०एल०, ओ०ए०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, टीएच०, एचपी०, सी०पी०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०
			4- उप निदेशक	एल०वी०/पी०बी०, एच०एच०/पी०डी०, बी०एच०, ओ०ए०, बी०, ओ०एल०, ओ०ए०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, टीएच०, एचपी०, सी०पी०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०
			5- खण्ड शिक्षा अधिकारी	एल०वी०/पी०बी०, एच०एच०/पी०डी०, बी०एच०, ओ०ए०, ओ०एल०, ओ०ए०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, टीएच०, एचपी०, सी०पी०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०
		(ख)	1- उप शिक्षा अधिकारी	एल०वी०/पी०बी०, एच०एच०/पी०डी०, बी०एच०, ओ०ए०, ओ०एल०, ओ०ए०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, टीएच०, एचपी०, सी०पी०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०
		(ख)	मिनिस्ट्रीयल संवर्ग	
			1- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	ओ०ए०, ओ०एल०, एच०एच०/पी०डी०, डी०, एल०वी०/पी०बी०, बी०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०, बी०एल०, टीएच०, एचपी०
			2- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	ओ०ए०, ओ०एल०, एच०एच०/पी०डी०, डी०, एल०वी०/पी०बी०, बी०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०, बी०एल०, टीएच०, एचपी०
			3- मुख्य वैयक्तिक अधिकारी 4- प्रशासनिक अधिकारी 5- प्रधान सहायक 6- वरिष्ठ सहायक 7- कनिष्ठ सहायक 8- वैयक्तिक अधिकारी 9- वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी 10- वैयक्तिक सहायक	ओ०ए०, ओ०एल०, एच०एच०/पी०डी०, डी०, एल०वी०/पी०बी०, बी०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०, बी०एल०, टीएच०, एचपी०
(घ)	1- चतुर्थ श्रेणी (राजकीय आउटसोर्स हेतु)	ओ०एल०, ओ०ए०, बी०एल०, सी०पी०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एम०डीवाई०/एम०डब्ल्यू०, एल०वी०/पी०बी०, बी०, एच०एच०/पी०डी०, टीएच०, एचपी०, डी०		
4- माध्यमिक शिक्षा विभाग	(क)	प्रधानाचार्य	ओ०ए०, ओ०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एल०वी०/पी०बी०, एच०एच०/पी०डी०, बी०एल०, ओ०ए०एल०, सी०पी०, एम०डीवाई०, टीएच०, एचपी०, बी०एच०	
		प्रधानाध्यापक	ओ०ए०, ओ०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, ए०ए०वी०/ए०वी०, एल०वी०/पी०बी०, एच०एच०/पी०डी०, बी०एल०, ओ०ए०एल०, सी०पी०, एम०डीवाई०, टीएच०, एचपी०, बी०एच०	
		1- प्रवक्ता (संगीत, साहित्य, सामाजिक एवं भाषा विषयों सहित) उक्त विषयों के पद "डी" तथा "पी०डी०" श्रेणी के लिए चिन्हित नहीं माने जायेंगे.	ओ०ए०, ओ०एल०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, ए०ए०वी०/ए०वी०, बी०, एल०वी०/पी०बी०, एच०एच०/पी०डी०, बी०एल०, ओ०ए०एल०, सी०पी०, एम०डीवाई०, टीएच०, एचपी०, बी०एच०	
		2- सहायक अध्यापक एल०टी० क- संगीत, मानव विज्ञान, सामाजिक व भाषा विषयों में सहायक अध्यापक एल०टी० के पद "बी" तथा "पी०बी०" श्रेणी के लिए भी चिन्हित माने जायेंगे.	ओ०ए०, ओ०एल०, एम०डब्ल्यू०, एल०सी०, डी०डब्ल्यू०, ए०ए०वी०/ए०वी०, बी०एल०, ओ०ए०एल०, सी०पी०, एम०डीवाई०, टीएच०, एचपी०, बी०एच०	

15/11/11

		<p>ख- सामाजिक, मानव विज्ञान, भाषा तथा संगीत विषयों के पद "डी" तथा "पी0डी0" के लिए चिह्नित नहीं माने जायेंगे।</p> <p>ग- सहायक अध्यापक एल0टी0, कला के पद "पी0डी0" श्रेणी के लिए भी चिह्नित माने जायेंगे, किन्तु "बी", "पी0बी0", "सी0पी0" तथा "एमडीवाई0" श्रेणी के लिए चिह्नित नहीं माने जायेंगे।</p> <p>घ- चलन क्रिया से सम्बंधित उक्त चिह्नित दिव्यानाता सभी विषयों हेतु चिह्नित मानी जाएगी।</p>	
--	--	---	--

3/11/11

(16)

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-03 /XVII-A-3/2024-01(11)/वि0 क0/2017
देहरादून: दिनांक 06 जगवरी, 2024

शुद्धि पत्र

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की नियमावली-2016 की धारा 34(1) के प्रावधानानुसार एवं धारा 33 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2019 के नियम 10 (1) के अनुसार गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के कम में पदों के पुनर्विन्हाकन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून, 2023 के प्रस्तर-2 (ग) में निम्नानुसार संशोधित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है :-

वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीडित और मांसपेशीय दुष्पौषण।	चलन दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाव आक्रमण के पीडित और पेशीय दुष्पौषण भी है।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0 क0/2017 दिनांक 05 जून, 2023 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

(बृजेश कुमार संत)
सचिव।

संख्या - /XVII-A-3/2024-01(11)/वि0 क0/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव, सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
6. सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

(महावीर सिंह)
संयुक्त सचिव